# बिहार सरकार,
## कृषि विभाग।

पत्र संख्या– रा०कृ०वि०यो०को०–03/2015– 988 /कृ0,पटना,दिनांक 23-02-,2016

प्रेषक,

प्रभु राम,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रुप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय : **वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) मद में अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षण हॉल का सुदृढ़ीकरण एवं किसान चौपाल का आधुनिकीकरण की योजना हेतु कुल 148.82 लाख रूपये (एक करोड़ अड़तालीस लाख बेरासी हजार रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 1.49 लाख रूपये (एक लाख उनचास हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश – स्वीकृत।

निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा कृषि रोड मैप के अधीन वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) मद में अव्यवहृत अवशेष राशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन संचालित कृषि विज्ञान केंद्रों के प्रशिक्षण हॉल का सुदृढ़ीकरण एवं किसान चौपाल का आधुनिकीकरण की योजना हेतु कुल 148.82 लाख रूपये (एक करोड़ अड़तालीस लाख बेरासी हजार रूपये) की लागत से योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति तथा इसके अधीन अनुसूचित जनजाति के लिए 1.49 लाख रूपये (एक लाख उनचास हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर के अधीन संचालित 20 कृषि विज्ञान केद्रों एवं विश्वविद्यालय के मुख्यालय सबौर में प्रसार तंत्र को सुदृढ़ किया जायेगा। कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशिक्षण केंद्र बेहतर बन जाने से इन केंद्रों के द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण, जिसमें किसान/महिला किसान एवं युवा किसानों को कार्य करके सीखाने (Learning by doing) की युक्ति पर प्रशिक्षण दिया जायेगा, से कौशल क्षमता का विकास हो सकेगा। इसके लिए कृषि एवं कृषि से जुड़े हुए आयामों के वृत्तचित्र, किसानों के सफलता की कहानी ईत्यादि दिखाकर प्रशिक्षुओं को कार्य करने के लिए प्रेरित भी किया जा सकेगा। किसानों को ससमय उनके यथा स्थान खेती की बारीकियों, उनकी खेती से जुड़ी समस्याओं का समाधान हेतु परिचर्चा का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा प्रत्येक शनिवार को किसान चौपाल के माध्यम से जिले के अलग–अलग गाँव में वैज्ञानिकों की टीम के साथ आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम को और प्रभावी बनाने हेतु इसका सुदृढ़ीकरण जैसे किसानों के बैठने, परिचर्चा से संबंधित सभी तरह की सुविधाएँ उपलब्ध होने से किसानों, युवा किसानों को सरल एवं सुगमतापूर्वक कौशल प्रदान कर खेती तथा खेती से जुड़े विषयों में आगे आने हेतु प्रेरित किया जा सकेगा। उक्त योजना की बजट की विवरणी अनुसूची–1 के रूप में संलग्न है।

3. भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निर्धारित मार्गदर्शिका के आलोक में योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। कार्यान्वयन अनुदेश में आवश्यकता होने पर आवश्यक संशोधन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकता है।

4. भारत सरकार के पत्र संख्या–7–3/2015–आर.के.वी.वाई. दिनांक–09.09.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि 3778.00 लाख रू० को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पुनर्वैधीकरण किया गया है। कृषि विभागीय पत्र सं० 5122 दिनांक–15.10.2015 द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) अंतर्गत अव्यवहृत अवशेष राशि में से कृषि विभाग को 151.00 लाख रूपये कर्णांकित किया गया है। उक्त कर्णांकित राशि से योजना कार्यान्वयन किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत केन्द्रांश में 22792.00 लाख रू० एवं राज्यांश में 19014.00

लाख रू० कुल 41806.00 लाख रू० बजट उपबंध प्राप्त है। बजट उपबंध के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यादेश संख्या–4580,4581,4582 दिनांक–08.09.2015 के द्वारा खरीफ 2015 में कार्यक्रमों के लिए कुल 13553.69 लाख रू० की शत्–प्रतिशत राज्यांश मद से निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। भारत सरकार के पत्र संख्या–7–3/2015–आर.के.वी.वाई. दिनांक 12.06.2015 के आलोक में योजना पर व्यय शत प्रतिशत केन्द्रांश से किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2014–15 में भारत सरकार के पत्रांक 7–1/2014–आर.के.भी. वाई. दिनांक–04.06.2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य) के लिए 391.73 करोड़ रू० उद्व्यय कर्णांकित किया गया था। उक्त उद्व्यय के आलोक में भारत सरकार से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत (सामान्य) में कुल 391.73 करोड़ रू० राशि विमुक्त कर दिया गया है।

5. स्वीकृत राशि 1.49 लाख रूपये (एक लाख उनचास हजार रूपये) की निकासी मुख्य शीर्ष 2401–फसल कृषि कर्म–उपमुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–मांग सं०–1 उपशीर्ष–0231–राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०), विपत्र कोड–P2401007960231, पी०एफ०एम०एस०कोड– 9145, विषय शीर्ष– 31 06– सहायक अनुदान–वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि 227.92 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

6. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त प्रवाह बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के माध्यम से किया जायेगा। स्वीकृत राशि की निकासी कृषि निदेशक द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। सहायक अनुदान के रूप में व्यय के लिए स्वीकृत राशि की निकासी हेतु विपत्र बी०टी०सी० फार्म–46 में तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अंतरण जमा के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेति), पटना के पी०एल० खाता संख्या 278 में अंतरित की जायेगी। बामेति से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र में योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बामेति द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ ही बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। बामेति द्वारा संलग्न अनुसूची–1 के अनुसार नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को राशि उपलब्ध करायी जायेगी। विमुक्त राशि के विरूद्ध यदि कोई ब्याज आहरित होता है तो इसका उपयोग उन्हीं कार्यो के लिए किया जायेगा जो राज्य सरकार से स्वीकृत है। नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए अलग से बैंक खाते का संधारण किया जायेगा। कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा उक्त योजना का अलग से लेखा संधारण सुनिश्चित किया जायेगा। महालेखाकार बिहार को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

7. भारत सरकार एवं दिनांक–02.09.2014 को आयोजित राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक के निदेशानुसार राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के निधि का व्यय Manpower hiring, POL, TA/DA, Transport, Computer and Other consumables में नहीं किया जायेगा।

8. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के प्रावधानों के अनुसार उक्त योजना में राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति की दिनांक 02.09.2014 को आयोजित बैठक में कृषि प्रक्षेत्र की योजनाओं के अधीन स्वीकृति प्रदान की गई है।

9. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संरव्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.08 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक 02.02.2016 को प्राप्त है। तत्संबंधी स्वीकृति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–03/2015 के पृ0सं0– 58/टि० पर प्राप्त है।

10. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नही है।

11. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–रा०कृ०वि०यो०को०–03/2015 के पृ0सं0– ...61.../टि० पर दिनांक– 10.02.2016 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(प्रभु राम)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 988 /कृ0, पटना दिनांक 23-02-2016

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 988 /कृ0, पटना, दिनांक 23-02-2016

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 988 /कृ0, पटना, दिनांक 23-02-2016

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 988 /कृ0, पटना, दिनांक 23-02-2016

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/डा० बी० पी भट्ट, निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पटना/निदेशक प्रसार शिक्षा, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/प्रभारी पदाधिकारी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कोषांग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/अध्यक्ष, राज्य किसान आयोग, बिहार, पटना/संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी/संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप निदेशक (शष्य) सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों के ई–मेल पर भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 988 /कृ0, पटना, दिनांक 23-02-2016

प्रतिलिपि : अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सेल, कृषि भवन, नई दिल्ली–110011/सलाहकार (कृषि), नीति आयोग, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवांई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

G:\Rajyadesh 2015-16\Rajyadesh RKVY BAU 2015-16.docx

अनुसूची - 1



## STRENGTHENING OF EXISTING KVK TRAINING HALL AND MODERNIZATION OF KISAN CHOUPAL ACTIVITIES

### INTRODUCTION

BAU, Sabour is having 20 KVK under its jurisdiction and as per mandate, we are organizing various types of Capacity Building, Skill-Oriented, Nee-Based HRD Programme. For conduction of training programme, we have Farmers Training Hall at all the KVKs but it is lacking in audio-visual aids and accessories of modern times. In addition to that, we are also having our very impertinent on-going programme of Kisan Choupal organized by all KVKs and Colleges of BAU, Sabour jurisdiction.

### OBJECTIVES

- By strengthening the existing KVKs infrastructure through modern audio visual aids for video and photo documentation of the events/problems of the field and horticultural crops for the farmers and need based research for the university.

### OUTCOME

- Conduction of on/off campus training for the farmers, farm women and rural youth it would help during imparting training through slide show or documentary with the relevant topic for easy understating of the trainees and it would help in Kisan Gosthi and Kisan Choupal too.
- By providing the facilities with anticipated item the KVK personnel would be able to give handouts to the participants on the spot itself.

At this juncture, we need some strengthening of our existing infrastructure of KVKs for the purpose. Keeping in view, we would like to request to allocate some grant for purchasing and installation of the equipments etc.

| S.N. | Name of the Equipment | Qty | Approx. Budget (in Rs.) |
|---|---|---|---|
| 1. | Video Camera (Handycam): Full HD and inbuilt projection with flash drive, Tripod & carrying case. | 1 | 95,000.00 |
| 2. | Still Photography Camera (DSLR with wide & zoom lenses) | 1 | 30,000.00 |
| 3. | Projector with all accessories | 1 | 60,000.00 |
| 4. | Sound System (Speaker, Microphone & all accessories) | 1 | 35,000.00 |
| 5. | ICT facilities etc. | 2 | 1,10,000.00 |
| 6. | LED Flood Light with stand (For evening programme) | 2 | 15,000.00 |
| 7. | Photocopier cum Printer (Colour & BW) | 1 | 1,00,000.00 |
| 8. | External Hard Drive | 1 | 5,000.00 |
| 9. | CCTV installation (Camera with all accessories) | 1 | 20,000.00 |
| 10. | Vacuum Cleaner | 1 | 16,000.00 |
| 11. | Water Cooler (with purifier) | 1 | 60,000.00 |
| 12. | Fire Extinguisher Cylinder (Electric & Water) | 2 | 9,000.00 |
| 13 | Digital Display Board/L.E.D. TV | 1 | 25,000.00 |
| 14 | High Speed VPN Connectivity in KVK for training through Video Conferencing | 01 MBPS bandwidth rent for 01 Yr. | 1,35,000.00 |
| | **TOTAL** | | **7,15,000.00** |
| | **Total Cost of Equipment under 20 KVKs** | | **1,43,00,000.00** |
| 15 | High Speed VPN Connectivity in Vikas Bhawan, Patna for connectivity between all KVKs and BAU. | 03 MBPS bandwidth rent for 01 Yr. | 2,82,000.00 |
| 16 | High Speed VPN Connectivity at BAU, Sabour for connectivity between all KVKs. | 05 MBPS bandwidth rent for 01 Yr. | 3,00,000.00 |
| | **GRAND TOTAL** | | **1,48,82,000.00** |

***(Rupees one crore forty eight lakh eighty two thousand only)***

Director
Extension Education
Directorate of Extension Education
Bihar Agricultural University, Sabour
Bhagalpur-813210

NODAL OFFICER
R.K.V.Y. BAU Sabour (EGP